



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 जनवरी, 1979
पौष 16, 1900 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 28/सत्रह-वि०-1—107-1978
लखनऊ, 6 जनवरी, 1979

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 2 जनवरी, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1979)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम, 1977 का संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 1978
कहा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा
गया है, धारा 2 में,—

(क) खण्ड (4) में, शब्द "ऐसे व्यक्ति के दायदा" के पश्चात् शब्द "या समनु-
वेधित" बढ़ा दिये जायेंगे और सर्वत्र से बढ़ाये गये समझे जायेंगे;

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
4, 1977 की
धारा 2 का
संशोधन

(ख) खण्ड (8) में, शब्द "का तात्पर्य" के पश्चात् शब्द, "किसी ग्राम में निवास करने वाले" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे ;

(ग) स्पष्टीकरण—तीन के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—चार—जहाँ किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी सम्पत्ति का अन्तरण किया हो और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन ऐसे अन्तरण के अभिशून्यन के लिए कोई कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विचाराधीन हो, वहाँ इस प्रश्न का कि अन्तरक सीमान्त कृषक है या लघु कृषक, अवधारण ऐसी कार्यवाही में दिये गये अन्तिम आदेश पर विचार करने के पश्चात् ही किया जायगा ।"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(ख) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक पर किसी ऋणी द्वारा जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय दो हजार चार सौ रुपये से अधिक हो, देय प्रत्येक ऋण पूरी तौर से उन्मोचित हो जायगा; यदि ऋणी—

(एक) अपना ऋण चुकाने में, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किसी समय ऋण के सम्बन्ध में मूल धनराशि की दूगुनी से अधिक या दूगुनी धनराशि का भुगतान कर चुका है, और ऐसा उन्मोचन ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से प्रभावी होगा ;

(दो) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् ऐसी धनराशि का जो ऐसा ऋण चुकाने में पहले ही दी गयी किसी राशि को मिलाकर ऋण के सम्बन्ध में मूल धनराशि के दूगुने के बराबर या उससे अधिक है, या वास्तव में देय धनराशि का, जो भी कम हो, भुगतान करता है, और ऐसा उन्मोचन ऐसे भुगतान के दिनांक से प्रभावी होगा ।"

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(क) खण्ड (ख) में वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्—

"परन्तुक—

(एक) जहाँ कोई वाद या कार्यवाही ऐसे ऋणी और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संयुक्त रूप से संस्थित की जाय, वहाँ इस खण्ड की कोई बात उस वाद या कार्यवाही, जहाँ तक उसका सम्बन्ध ऐसे अन्य व्यक्ति से है, के अनुरक्षण के सम्बन्ध में लागू न होगी;

(दो) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व और पश्चात् दिये गये ऋण के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कोई वाद किसी ऋणी के विरुद्ध संस्थित किया जाय, वहाँ इस खण्ड की कोई बात, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् दिये ऋण के सम्बन्ध में वाद के अनुरक्षण पर लागू नहीं होगी;"

(ख) खण्ड (ग) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"परन्तुक यह और कि खण्ड (ख) का परन्तुक यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस खण्ड में निर्दिष्ट किसी वाद या कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह उस खण्ड में निर्दिष्ट किसी वाद या कार्यवाही पर लागू होता है;"

(ग) खण्ड (ङ) में, शब्द "यदि ऐसी सम्पत्ति उसके कब्जे में हो" निकाल दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्—

"(च) किसी ऋणी द्वारा निष्पादित स्यावर सम्पत्ति के प्रत्येक बन्धक का मोचन हो जायगा और बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त कर दी जायेगी ।"

5—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"6—क (1) धारा 5 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट ऋणी बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश देने और मोचन करने का प्रमाण-पत्र स्यावर सम्पत्ति का प्रदान करने के लिये उस क्षेत्र में, जिसमें ऐसा ऋणी साधारणतया निवास करता हो, अधिकारिता रखने वाले ऋण परिपोषण अधिकारी को आवेदन-पत्र दे सकता है ;

नयी धारा 6-क का बढ़ाया जाना

ऋण प्रपत्र कार्य

(3) लेनदार का अन्यथा समनुदेश

(4) बन्धक-ग्रस्त स लेनदार से ऐसी वसूल करेगा मा

6—र द्वारा" के पश्चा

7—र दिये जायेंगे ।

8—र वर्ष से अनधिक

9—र शब्द "10 अ रख दिये जायेंगे

10—र शब्द "दो द

11—र दिये जायेंगे श्री

12—र की दर से" के र और सदैव से

13—र व्याज भी सति

14—र संख्यांकित नि उपधारा बढ़ा

ऋण उप रह

(2) (क) ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और विहित रीति से जांच करने के पश्चात् ऋण परिशोधन अधिकारी बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश देगा और विहित प्रपत्र में मोचन प्रमाण-पत्र देगा जो किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में ऐसे मोचन के साध्य के रूप में अनुमन्य होगा ;

(ख) ऋण परिशोधन अधिकारी लेनदार या लेनदार के अन्तरिती को—

(एक) आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व ऋणी को बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति का कब्जा देने का निदेश भी देगा यदि बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति ऋणी के कब्जे में पहले से न हो; और

(दो) आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व बन्धक-विलेख या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी निदेश देगा और ऋण परिशोधन अधिकारी बन्धक विलेख या अन्य दस्तावेज पर मोचन का पृष्ठांकन करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश के लिए कार्यवाही लम्बित रहने तक कोई लेनदार या लेनदार का अन्तरिती ऋणी द्वारा बन्धकग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में न अपने हित का अन्तरण या अन्यथा समनुदेशन करेगा और न अपने पुरोबन्ध अधिकारों का प्रयोग करेगा।

(4) जहां लेनदार द्वारा किसी बैंक को बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति अन्तरित कर दी गयी हो या बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति में कोई अधिकार समनुदेशित किया गया हो, वहां ऋण परिशोधन अधिकारी लेनदार से ऐसी धनराशि, जो उक्त बन्धक-ग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसे बैंक को देय हो, उसी प्रकार वसूल करेगा मानों वह भू-राजस्व का कोई वकाया हो, और उसे उक्त बैंक को देगा।”

6—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) में, शब्द “धारा 6 के अधीन तहसीलदार द्वारा” के पश्चात् शब्द “या धारा 6-क के अधीन ऋण परिशोधन अधिकारी द्वारा” बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (3) में शब्द “उपधारा (1) या” निकाल दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 12 में, शब्द “एक वर्ष से अनधिक” के स्थान पर शब्द “दो वर्ष से अनधिक” रख दिये जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द “सम्पत्ति का प्रत्येक अन्तरण” के स्थान पर शब्द “10 अक्टूबर, 1975 को या उसके पश्चात् किया गया स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक अन्तरण” रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) में शब्द “छः मास” के स्थान पर शब्द “दो वर्ष” रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 18 में, खण्ड (इ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

धारा 18 का संशोधन

“(इ) लघु कृषक की वार्षिक पारिवारिक आय का व्योरा;

(च) धारा 20 में निर्दिष्ट वर्ष के लिए कृषि उपज का स्थूल मूल्य।”

12—मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (1) में, शब्द “छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से” के स्थान पर शब्द “धारा 9 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर से” रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 20 में, शब्द “व्याज सहित” के स्थान पर शब्द “जिसमें व्याज भी सम्मिलित है” रख दिये जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 21 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

धारा 21 का संशोधन

“(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को किसी लघु कृषक द्वारा देय प्रत्येक ऋण, जिसके सम्बन्ध में धारा 17 के अधीन कोई आवेदन-पत्र न दिया जाय, उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर और धारा 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, चुकता हो जायगा और उसकी वसूली नहीं की जायगी।”

धारा 25 का
संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 25 में—

(क) खण्ड (ड) में, शब्द “ऋणी” के पश्चात् शब्द “या लघु कृषक” बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

(ख) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

“(त) किसी चिट फण्ड योजना के अधीन संचालित चिट के अधीन उपगत या उत्पन्न प्रत्येक दायित्व;

(थ) किसी विधवा को देय प्रत्येक ऋण;

(द) प्रत्येक मेहर का ऋण;

(घ) सेवा संविदा का उल्लंघन करने से उत्पन्न प्रत्येक ऋण।”

धारा 28 का
संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 28 में, शब्द “ऋणी” के पश्चात् शब्द “या लघु कृषक” बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

धारा 29 का
संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (1) में, शब्द “दस्तावेज प्रस्तुत करने” के पश्चात् शब्द “और मामलों के समेकन” बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 32 का
संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 32 में वर्तमान पार्श्व-शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व-शीर्षक रख दिया जायगा अर्थात्—

“विधि व्यवसायियों के उपस्थित होने पर प्रतिषेध”।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 28/XVII-V-1—107-1978

Dated Lucknow, January 6, 1979

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rin Anutosh (Sankhodhan) Adhinyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 2 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 2, 1979 :

THE UTTAR PRADESH DEBT RELIEF (AMENDMENT) ACT, 1978

(U. P. ACT NO. 2 OF 1979)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.]

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Debt Relief (Amendment) Act, 1978.

Amendment of
section 2 of U.P.
Act 4 of 1977.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Debt Relief Act, 1977 hereinafter referred to as the principal Act—

(a) in clause (4), for the words “heirs of such person”, the words “heirs or assignees of such person” shall be substituted and be deemed always to have been substituted;

(b) in clause (8), after the word “person” where it occurs for the first time, the word “residing in a village” shall be inserted and be deemed always to have been inserted;

(c) after Explanation III, the following Explanation shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely:—

“Explanation IV—Where a person has transferred any property before the commencement of this Act and any proceeding for the annulment of such transfer under the Provincial Insolvency Act, 1920 is pending on the date of such commencement, then the question whether the transferor is a marginal farmer or a small farmer shall be determined only after considering the final orders made in such proceedings.”

3. In section 4 of the principal Act, for clause (b), the following clause shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely:—

Amendment of section 4.

“(b) every debt payable on the date of such commencement by a debtor whose annual household income exceeds two thousand and four hundred rupees shall be wholly discharged, if the debtor—

(i) has paid, in the discharge of his debt, a sum exceeding or equivalent to double the amount of principal in respect of the debt, at any time before such commencement, and such discharge shall be effective from the date of such commencement;

(ii) pays after the date of such commencement, a sum which, together with any sum already paid in the discharge of such debt, is equivalent to or exceeds double the amount of principal in respect of the debt, or the amount actually due whichever is less, and such discharge shall be effective from the date of such payment.”

4. In section 5 of the principal Act—

Amendment of section 5.

(a) in clause (b), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely:—

“Provided that—

(i) where a suit or proceeding is instituted jointly against such debtor and any other person, nothing in this clause shall apply to the maintainability of the suit or proceeding in so far as it relates to such other person;

(ii) where a suit is instituted against a debtor jointly in respect of a debt advanced before as well as after the commencement of this Act, nothing in this clause shall apply to the maintainability of the suit in respect of the debt advanced after such commencement;”

(b) in clause (c), after the proviso, the following proviso shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely:—

“Provided further that the proviso to clause (b) shall *mutatis mutandis* apply to a suit or proceeding referred to in this clause as it applies to a suit or proceeding specified in that clause;”

(c) in clause (e), the words “if in possession of such property” shall be omitted;

(d) after clause (e), the following clause shall be inserted, and be deemed always to have been inserted, namely:—

“(f) every mortgage of immovable property executed by a debtor shall stand redeemed and the mortgaged property shall be released in favour of the debtor.”

5. After section 6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new section 6-A.

“6-A. (1) A debtor referred to in clause (f) section 5 may make an application to the Debt Settlement Officer having jurisdiction over the area within which such debtor ordinarily resides, for an order releasing the mortgaged property and for the grant of a certificate of redemption.

(2) (a) On receipt of such application and after inquiry conducted in the manner prescribed, the Debt Settlement Officer shall pass an order releasing the mortgaged property, and grant a certificate of redemption in the prescribed form which shall be admissible as evidence of such redemption in any proceeding before any court or other authority.

(b) The Debt Settlement Officer shall also direct the creditor or the transferee of the creditor—

(i) to deliver possession of the mortgaged property to the debtor on or before the date, specified in the order, if the debtor is not already in possession of the mortgaged property; and

(ii) to produce on or before the date specified in the order, the mortgage deed or other document and the Debt Settlement Officer shall make an endorsement of redemption of the mortgage deed or other document.

- (3) Pending orders under sub-section (2), no creditor or the transferee of the creditor shall transfer or otherwise assign his interest in, or exercise his right of foreclosure in respect of the property mortgaged by the debtor.
- (4) Where the mortgaged property has been transferred or any right therein has been assigned to any bank by the creditor, the Debt Settlement Officer shall recover from the creditor such amount as is due to such bank in respect of the said mortgaged property, as if, it were an arrear of land revenue, and shall pay the same to the said bank."
- Amendment of section 8. 6. In section 8 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "by the Tahsildar under section 6," the words "by the Tahsildar under section 6 or by the Debt Settlement Officer under section 6-A", shall be *substituted*.
- Amendment of section 10. 7. In section 10 of the principal Act, in sub-section (3), the words "sub-section (1), or" shall be *omitted*.
- Amendment of section 12. 8. In section 12 of the principal Act, for the words "not exceeding one year" the words "not exceeding two years" shall be *substituted*.
- Amendment of section 14. 9. In section 14 of the principal Act, for the words "Every transfer of property made by a small farmer," the words "Every transfer of immovable property made on or after October 10, 1975 by a small farmer" shall be substituted, and be deemed always to have been *substituted*.
- Amendment of section 17. 10. In section 17 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.
- Amendment of section 18. 11. In section 18 of the principal Act, for clause (e), the following clauses shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely—
 "(e) the particulars of the annual household income of the small farmer;
 (f) the gross value of the agricultural produce for the year referred to in section 20."
- Amendment of section 19. 12. In section 19 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "at the rate of six per cent per annum," the words "at the rate specified in sub-section (2) of section 9" shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*.
- Amendment of section 20. 13. In section 20 of the principal Act, for the words "together with", the word "including" shall be *substituted*.
- Amendment of section 21. 14. The existing section 21 of the principal Act, shall be re-numbered as sub-section (1), thereof, and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—
 "(2) Every debt payable by a small farmer on the date of commencement of this Act in respect of which no application is made under section 17 shall, on the expiry of the period referred to in sub-section (1) of that section and subject to the provisions of section 33, stand discharged and shall not be recoverable."
- Amendment of section 25. 15. In section 25 of the principal Act,—
 (a) in clause (n), after the word "debtor", the words "or the small farmer" shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*;
 (b) after clause (o), the following clauses shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*, namely—
 "(p) every liability incurred or arising under a chit conducted under any chit fund scheme;
 (q) every debt due to a widow;
 (r) every dower debt;
 (s) every debt arising out of breach of contract of service."
- Amendment of section 28. 16. In section 28 of the principal Act, after the word "debtor", the words "or the small farmer" shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*.

17. In section 29 of the principal Act, in sub-section (1), *after* the words "production of documents", the words "and consolidation of cases" shall be *inserted*. Amendment of section 29.

18. In section 32 of the principal Act, *for* the existing marginal heading, the following marginal heading shall be *substituted*, namely:— Amendment of section 32.
"Prohibition of appearance of legal practitioners."

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.